

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 47

स्वास्थ्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट, 2004-2005			संशोधित, 2004-2005			बजट, 2005-2006			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	1769.30 ... 1769.30	893.32 25.00 918.32	2662.62 25.00 2687.62	2177.00 ... 2177.00	893.32 25.00 918.32	3070.32 25.00 3095.32	2881.77 ... 2881.77	920.87 25.00 945.87	3802.64 25.00 3827.64	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	3.00	12.25	15.25	3.00	12.25	15.25	3.00	16.30	19.30
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य										
3. स्वास्थ्य सेवा										
महानिदेशालय	2210	1.50	15.50	17.00	1.50	15.50	17.00	1.60	16.95	18.55
4. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय	2210	8.00	2.35	10.35	8.00	2.35	10.35	8.00	2.50	10.50
5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	2210	16.50	187.00	203.50	16.50	187.00	203.50	26.00	195.00	221.00
अस्पताल और औषधालय-एलोपैथी										
6. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	2210	60.00	67.80	127.80	60.00	67.80	127.80	84.30	72.25	156.55
7. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	2210	22.00	47.10	69.10	22.00	47.10	69.10	47.30	49.30	96.60
8. कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	2210	8.00	9.25	17.25	8.00	9.25	17.25	8.62	9.45	18.07
9. केन्द्रीय मनोरोगविज्ञान संस्थान, रांची	2210	3.00	9.10	12.10	3.00	9.10	12.10	10.26	10.50	20.76
10. अस्पताल भारतीय काय औषध और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई	2210	3.00	3.15	6.15	3.00	3.15	6.15	3.60	3.35	6.95
11. अन्य व्यय	2210	7.50	0.85	8.35	7.50	0.85	8.35	10.00	0.86	10.86
जोड़ - अस्पताल और औषधालय-एलोपैथी		103.50	137.25	240.75	103.50	137.25	240.75	164.08	145.71	309.79
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान										
12. अस्पताल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	2210	119.00	170.00	289.00	170.00	170.00	340.00	201.26	170.00	371.26
13. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	2210	20.00	41.75	61.75	20.00	41.75	61.75	27.00	42.25	69.25
14. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2210	30.00	14.67	44.67	46.00	14.67	60.67	45.96	14.70	60.66
15. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	2210	28.00	96.00	124.00	28.00	96.00	124.00	35.00	96.00	131.00
16. जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	2210	20.00	40.00	60.00	20.00	40.00	60.00	62.00	42.30	104.30
17. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	2210	112.00	66.00	178.00	185.00	66.00	251.00	186.00	66.00	252.00
18. कैंसर अनुसंधान	2210	43.00	3.50	46.50	53.00	3.50	56.50	63.50	3.50	67.00
	3601	10.00	...	10.00
	जोड़	53.00	3.50	56.50	53.00	3.50	56.50	63.50	3.50	67.00
19. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा	2210	10.00	...	10.00	10.13	...	10.13	13.00	...	13.00
20. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट दिल्ली विश्वविद्यालय	2210	4.00	6.00	10.00	4.00	6.00	10.00	6.50	6.00	12.50
21. प्राईवेट मेडिकल कालेजों को अनुदान	2210	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
22. अन्य कार्यक्रम	2210	71.40	6.50	77.90	71.40	6.50	77.90	272.81	7.00	279.81
जोड़ - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान		467.40	445.42	912.82	607.53	445.42	1052.95	913.03	447.75	1360.78

सं.47/ स्वास्थ्य विभाग

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट, 2004-2005			संशोधित, 2004-2005			बजट, 2005-2006			जोड़
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
जन स्वास्थ्य										
23. राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	2210	50.00	5.25	55.25	50.00	5.25	55.25	92.55	5.50	98.05
	3601	136.26	0.20	136.46	159.26	...	159.26	180.28	...	180.28
	3602	0.74	...	0.74	0.74	...	0.74	0.62	...	0.62
जोड़		187.00	5.45	192.45	210.00	5.25	215.25	273.45	5.50	278.95
24. काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम	3601	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	40.00	...	40.00
25. राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	2210	0.20	0.20	...	0.21	0.21
26. क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	89.00	...	89.00	115.80	...	115.80	140.20	...	140.20
	3601	25.30	...	25.30	12.20	...	12.20	24.99	...	24.99
	3602	0.70	...	0.70	1.00	...	1.00	1.20	...	1.20
जोड़		115.00	...	115.00	129.00	...	129.00	166.39	...	166.39
27. कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	2210	37.88	...	37.88	27.72	...	27.72	25.45	...	25.45
	3601	15.10	...	15.10	13.10	...	13.10	13.10	...	13.10
	3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
जोड़		53.00	...	53.00	40.84	...	40.84	38.57	...	38.57
28. रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	2210	29.50	...	29.50	47.50	...	47.50	53.50	...	53.50
	3601	55.00	...	55.00	37.00	...	37.00	32.00	...	32.00
	3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	86.00	...	86.00
29. राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम	2210	5.90	...	5.90	5.90	...	5.90	9.96	...	9.96
	3601	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	0.96	...	0.96
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.08	...	0.08
जोड़		7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	11.00	...	11.00
30. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम – राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	2210	232.00	...	232.00	422.00	...	422.00	476.50	...	476.50
जोड़-राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम		232.00	...	232.00	422.00	...	422.00	476.50	...	476.50
31. मादक द्रव्यों की लत छुड़ाने संबंधी कार्यक्रम	2210	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
32. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	10.95	9.70	20.65	7.56	9.70	17.26	12.00	9.85	21.85
	3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.25	...	0.25
जोड़		11.00	9.70	20.70	7.61	9.70	17.31	12.25	9.85	22.10
33. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2210	6.00	10.80	16.80	6.00	10.80	16.80	6.76	11.70	18.46
34. पतन स्वास्थ्य स्थापना एवं विमान पतन स्वास्थ्य संगठन	2210	1.00	8.00	9.00	1.00	8.00	9.00	1.00	8.60	9.60
35. राष्ट्रीय जैविकीय मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, नई दिल्ली	2210	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	47.00	...	47.00
36. बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला गिंडी, चेन्नई	2210	3.00	3.05	6.05	3.00	3.05	6.05	3.00	3.15	6.15
37. अस्पल भारतीय स्वच्छता विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	2210	1.50	6.10	7.60	1.50	6.10	7.60	1.50	6.20	7.70
38. लाला राम स्वरूप क्षयरोग और सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	11.00	4.20	15.20	11.00	4.20	15.20	12.00	4.20	16.20
39. मानवीय व्यवहार तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान, शाहदरा, दिल्ली	2210	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
40. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	2210	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	36.00	...	36.00
41. अन्य जन स्वास्थ्य संस्थान	2210	10.80	7.70	18.50	9.92	7.70	17.62	11.80	8.00	19.80
42. अन्य योजनाएं	2210	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.70	1.70
जोड़ - जन स्वास्थ्य		850.80	56.60	907.40	1061.37	56.60	1117.97	1224.22	59.11	1283.33

मुख्य शीर्ष	बजट, 2004-2005			संशोधित, 2004-2005			बजट, 2005-2006			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
(करोड़ रुपए)										
अन्य कार्यक्रम										
43. राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि की स्थापना	2210	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30
44. गरीबों को अस्पताल में भर्ती कराने पर होने वाले व्यय के लिए सहायता	3601	...	2.70	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	2.70
	3602	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
	जोड़	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
45. स्नायु पदार्थों में मिलावट की रोकथाम	2210	25.00	2.10	27.10	36.00	2.10	38.10	58.10	2.35	60.45
	3601	11.00	...	11.00
	जोड़	36.00	2.10	38.10	36.00	2.10	38.10	58.10	2.35	60.45
46. प्रशिक्षण संस्थान	2210	4.00	8.80	12.80	4.00	8.80	12.80	6.08	8.25	14.33
47. परिचर्या सेवाओं का विकास	2210	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	18.00	...	18.00
48. औषधि मानक नियंत्रण कार्यक्रम	2210	11.00	5.60	16.60	21.50	5.60	27.10	41.64	6.15	47.79
	3601	10.50	...	10.50
	जोड़	21.50	5.60	27.10	21.50	5.60	27.10	41.64	6.15	47.79
49. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2210	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	6.75	6.75
50. अन्य योजनाएं	2210	13.10	8.65	21.75	57.00	8.65	65.65	95.72	8.75	104.47
	3601	44.00	...	44.00	17.10	...	17.10	31.50	...	31.50
	जोड़	57.10	8.65	65.75	74.10	8.65	82.75	127.22	8.75	135.97
51. चिकित्सा भण्डार संगठन	4210	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
जोड़ - अन्य कार्यक्रम		138.60	60.95	199.55	155.60	60.95	216.55	251.04	61.55	312.59
52. सहायता सामग्री और उपस्कर - सकल घटाइये - कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को अंतरण	3606	...	29.80	29.80	...	29.80	29.80	...	39.80	39.80
	3606	...	-29.80	-29.80	...	-29.80	-29.80	...	-39.80	-39.80
निवल-सहायता सामग्री और उपस्कर	
53. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	180.00	...	180.00	220.00	...	220.00	290.80	...	290.80
कुल जोड़		1769.30	918.32	2687.62	2177.00	918.32	3095.32	2881.77	945.87	3827.64

#इसमें उत्तर-पूर्व के लिए प्रावधान शामिल है (बायरे टिप्पणियों में देखें)

ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
2. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	22210	1617.00	...	1617.00	1988.34	...	1988.34	2614.20	...	2614.20
3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	180.00	...	180.00	220.00	...	220.00	290.80	...	290.80
	जोड़	1800.00	...	1800.00	2211.34	...	2211.34	2908.00	...	2908.00

*इसमें निम्नलिखित मांगों में शामिल निर्माण परिव्यय भी शामिल है।

मांग संख्या 100	22210	6.50	...	6.50	5.70	...	5.70	4.80	...	4.80
मांग संख्या 101	22210	24.20	...	24.20	28.64	...	28.64	21.43	...	21.43
जोड़		30.70	...	30.70	34.34	...	34.34	26.23	...	26.23

1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं: इसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. विवेकाधीन अनुदान: ये अनुदान जन हित के पात्र गरीब मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय: इसके अन्तर्गत चिकित्सीय तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता की व्यवस्था की जाती है और यह स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह देश में और देश से बाहर जैव-चिकित्सा संबंधी जानकारी इकट्ठी करने, संसाधित करने तथा उसकी आपूर्ति करने के लिये एक केन्द्रीय कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

4. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय: यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तत्वावधान में अंतर्गत राष्ट्रीय जैव-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान सूचना संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह अपने सूचना संबंधी उत्पादों तथा सेवाओं के माध्यम से समग्र देश के सभी चिकित्सा व्यवसायिकों तक पहुंचता है।

5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना: इस योजना के अधीन संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों, भूतपूर्व राज्यपालों, भूतपूर्व उप-राष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके परिवार के सदस्यों आदि जैसे अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी/सिद्ध औषधालयों/एककों के नेटवर्क के माध्यम से बहिरंग रोगियों की देखभाल की सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। वर्तमान में यह स्कीम सारे देश में 23 शहरों में 44.72 लाख लाभार्थियों (जिनमें केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारी तथा पेंशनर दोनों शामिल हैं) को कवर करती है।

6. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली: 1531 शैयाओं वाला केंद्रीय सरकार का अस्पताल है। इसकी स्थापना दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान की गई थी। अब यह एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक हो चुका है जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि

सं.47/ स्वास्थ्य विभाग

पड़ोसी राज्यों के साथ-साथ दूरस्थ राज्यों के 2 मिलियन से अधिक लोगों को चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवाता है। नेत्र-विज्ञान विभाग में एक नेत्र बैंक की स्थापना की गयी है जिसमें अस्पताल में तथा दिल्ली क्षेत्र से नेत्र प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध है। यह अपने परिसर के अन्तर्गत भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद को मुफ्त आयुर्वेदिक-बहिरंग रोगी विभाग चलाने के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इसके परिसर के भीतर होम्योपैथिक बाह्य रोगी विभाग भी कार्यरत है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहा है।

7. डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली: यह भी केन्द्रीय सरकार का एक चिकित्सा अस्पताल है और इसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा संसद सदस्यों आदि के लिए संचालित एक नर्सिंग होम (सुश्रूषा गृह) भी शामिल है। इस अस्पताल में 937 रोगी शैयाएं हैं। इसके 29 विभाग हैं। जिनमें तंत्रिका शल्य चिकित्सा, बर्न्स एवं प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, कार्डियोलाजी, मूत्रविज्ञान, जठरान्त्र रोग विज्ञान, बाल रोग शल्य चिकित्सा और कार्डियो थोरेसिक शल्य चिकित्सा जैसी सभी बड़ी विशिष्टताएं और कुछ अति विशिष्टताएं शामिल हैं। इसके अलावा अस्पताल में एक होल बाडी सीटी स्कैनर, कार्डियक कैथ लैब, नॉन-इन्वेसिव कार्डियक लैब, हाइपर-बैरक आक्सीजन चैम्बर आदि हैं। बाल रोग चिकित्सा विभाग में दिन में परिचर्या हेतु छह पलंगों वाला एक थैलासीमिया/ल्यूकेमिया वार्ड शुरू किया गया है। अस्पताल में कायचिकित्सा, शल्य चिकित्सा, आर्थोपैडिक में चौबीसों घंटे की सेवाओं सहित एक सुस्थापित आपातकालीन सेवा है जबकि अन्य विशिष्टताएं भी मांग करने के आधार पर उपलब्ध हैं। अस्पताल शल्य चिकित्सा, कायचिकित्सा, रेडियोलाजी, बाल रोग चिकित्सा, त्वचा और कान-नाक-गला जैसी विभिन्न विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर शिक्षा (एमडी, एमएस आदि) प्रदान करता है। यह अस्पताल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अवर स्नातक विद्यार्थियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। 75 छात्रों की संख्या वाला एक नर्सिंग स्कूल भी इस अस्पताल द्वारा चलाया जा रहा है। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित किया गया है।

8. कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली: इस अस्पताल में 350 रोगी शैयाएं हैं और यह केवल बच्चों के रोगों के इलाज के लिए अस्पताल है। इसका प्रबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज द्वारा किया जाता है। अस्पताल में बाल रोग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, हड्डियों के उपचार और बच्चों के लिए गहन सुश्रूषा सुविधाओं की भी व्यवस्था है। विद्यमान सुविधाओं को जापानी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण से विदेशी सहायता लेकर 150 बिस्तरों की अतिरिक्त सुविधा के साथ बाल रोग चिकित्सा में विशिष्टता प्रदान करने के लिए बढ़ाया जा रहा है।

9. केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, रांची: देश में मनोरोग उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार का यह एक प्रमुख संस्थान है। 673 बिस्तरों वाला यह संस्थान दो पड़ोसी देशों, अर्थात् नेपाल और भूटान के रोगियों के उपचार की व्यवस्था भी करता है। रोग निदान तथा उपचार की सुविधाओं के अतिरिक्त, इस संस्थान में मनोरोग संबंधी स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

10. अखिल भारतीय काय औषध एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई: यह चिकित्सा पुनर्वास सेवाओं की सुविधाओं से सम्पन्न सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में एक अगुआ संस्थान है। इस संस्थान की क्षमता 45 शैयाओं की है और इसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक का प्रशिक्षण दिया जाता है और पुनर्वास औषधियों पर अनुसंधान किया जाता है।

11. अन्य व्यय: इसमें अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन तथा भुज अस्पताल, गुजरात को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए प्रावधान शामिल है।

12. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली: इस संस्थान को 1956 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा औषध विज्ञान के विभिन्न विषयों पर प्रयोग तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। इस संस्थान में 1596 रोगी शैयाओं की व्यवस्था है। डा. राजेन्द्र प्रसाद आर्थलमिक विज्ञान केंद्र भी इससे सम्बद्ध है। केन्द्रीय सरकार, संस्थान को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संस्थान में अनुसंधान की कुछ योजनाओं की वित्त-व्यवस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा की जाती है।

13. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली: यह कालेज सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका संचालन स्त्रियों को अवर स्नातक और स्नातकोत्तर तथा पुरुषों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है और इसमें स्त्रियों और बच्चों की डाक्टरी सुश्रूषा भी की जाती है। विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कालेज के साथ कतिपय अस्पताल भी सम्बद्ध हैं, जैसे कि श्रीमती सुचेता

कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल आदि। यह नर्सिंग स्कूल का भी संचालन करता है, जिसमें नर्सिंग तथा धात्री-विद्या पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

14. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर: यह एक स्वायत्त संस्थान है और इसे भारत सरकार से अनुसंधान अनुदान सहायता प्राप्त होती है। इस संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायुविज्ञान के क्षेत्र में सेवाओं, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था की जाती है। यह संस्थान अब एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में माना जाने लगा है और संस्थान में मेडिकल तथा पैरामेडिकल विषयों में डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था है।

15. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़: इस संस्थान की स्थापना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई है और इसके कृत्य भी वही हैं जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के हैं लेकिन इसके कार्य स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। इस संस्थान की संपूर्ण वित्त-व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है और यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान तथा विशिष्ट अस्पताली सेवाओं की व्यवस्था करने वाला केंद्र भी है। इस संस्थान से सम्बद्ध नेहरू अस्पताल में 1268 रोगी-शैयाओं की व्यवस्था है।

16. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी: भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित और संचालित इस संस्थान में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके अस्पताल में, जिसमें 912 रोगी शैयाएं हैं, पांडिचेरी और पड़ोसी राज्यों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह संस्थान, मेडिकल अध्यापकों के प्रशिक्षण केंद्र का संचालन भी करता है, जिसमें अध्यापन पाठ्य चर्या में होने वाले अद्यतन परिवर्धनों का प्रदर्शन किया जाता है।

17. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद: देश में जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन, समन्वयन और सूत्रीकरण के लिये एक शीर्ष निकाय है। केन्द्रीय सरकार परिषद को, संक्रामक रोगों, गर्भनिरोधकों, प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य, पोषाहार, संक्रामक रोगों से भिन्न रोगों और आधारभूत अनुसंधान के कार्य के लिए शत-प्रतिशत अनुसंधान अनुदान देती है। यह परिषद, जनजातीय स्वास्थ्य तथा परम्परागत औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने तथा उक्त जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण के कार्य में भी लगी हुई है।

18. कैंसर अनुसंधान: इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.आर.सी.एच. (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) नई दिल्ली और सी.एन.सी.आई, कोलकाता के अलावा अहमदाबाद, बंगलौर, कटक, ग्वालियर, इलाहाबाद, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, पटना, रोहतक, शिमला, बीकानेर, पांडिचेरी, रायपुर, आइजाल और नागपुर में क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को सहायता प्रदान की जाती है। रेडियो थेरेपी एककों की स्थापना और कैंसर रोग का शीघ्र पता लगाने संबंधी कार्यों क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकारी चिकित्सा कालेजों में अर्बुद-विद्या स्कन्धों के विकास तथा जिला परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों की संस्थाओं को भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

19. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, सेवाग्राम: यह देश में ग्रामीण परिवेश में स्थापित होने वाला पहला एवं अग्रणी मेडिकल कालेज है और यह विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में अवगत कराता है। सोसाइटी का एक 648 शैयाओं का अध्यापन हस्पताल है, इसमें उत्तम दर्जे की नैदानिक एवं उपचार सुविधाएं हैं और स्नातक स्तर से पूर्व की एवं स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

20. वल्लभभाई पटेल चेरट संस्थान, दिल्ली: यह अनुप्रयुक्त एवं प्राथमिक अनुसंधान, स्नातकोत्तर स्तर के अध्यापन, छाती से सम्बन्धित रोगों के परामर्शी चिकित्सालयों एवं अनुसंधानशाला नैदानिक सेवाओं के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय संस्थान है। यह भारत के विभिन्न भागों के संकाय सदस्यों एवं चिकित्सकों के लिए श्वसन सम्बन्धी रोगों के अल्प अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है।

22. अन्य कार्यक्रम: इसमें ए.आई.आई.एस एण्ड एच, मैसूर, आरएके नर्सिंग महाविद्यालय, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड चिकित्सा अनुदान आयोग आदि शामिल हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समान छह अस्पताल एवं शिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने हैं तथा राज्य सरकारों के अस्पतालों का उन्नयन किया जाना है।

23. रोगों का निवारण और नियंत्रण: यह प्रावधान राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम के लिए है।

24-25. कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम: इसमें मलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफ़ाइटिस, फाइलेरिया और डेंगू शामिल हैं। पांचवे दशक के पूर्वभाग में 75 मिलियन व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित थे और मलेरिया से मरने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 0.8 मिलियन थी। मलेरिया के मामलों की यह संख्या घट कर 1 लाख से कम रह गई और वर्ष 1965 में मलेरिया से कोई मौत नहीं हुई। उसके बाद से 1976 में मलेरिया पुनः फैलने के 64 लाख मामले हुए परन्तु इसे छठी योजना अवधि के दौरान कम करके 20 लाख मामलों तक लाया गया है। सातवीं योजना अवधि के दौरान मलेरिया के मामले कमोबेश स्थिर रहे और इसलिए, स्थानीय स्थिति अर्थात् एकीकृत बीमारी रोगवाहक नियंत्रण पर बल देते हुए मलेरिया होने की संभावना के आधार पर नई नीति और देश के जनजातीय क्षेत्रों के सघन मलेरिया-विरोधी उपायों की आवश्यकता है। मलेरिया के नियंत्रण की गतिविधियों को तेज करने के लिए सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की गई है। मलेरिया महामारी तथा देश के जनजाति/पिछड़े क्षेत्रों में नियंत्रण उपाय करने के लिए वर्तमान में विश्व बैंक की सहायता से एक मलेरिया नियंत्रण परियोजना दिनांक 30.9.1997 से कार्यान्वित की जा रही है जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के 100 जिलों और 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) में तेजी लाते हुए लिम्फेटिक फाइलेरिया का वर्ष 2015 तक और कालाजार का वर्ष 2010 तक उन्मूलन करने हेतु इन महामारी से ग्रस्त क्षेत्रों में गहन कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं।

26. क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम: क्षयरोग अभी भी जन स्वास्थ्य की एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) 1962 से प्रचालन में है और वह सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से कार्य करता है जिनमें जिला क्षयरोग केन्द्र नोडल एजेन्सियां हैं। अभी तक देश में 446 जिला क्षयरोग केन्द्र कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक संख्या में क्षयरोग के मामलों की खोज करना तथा उनका इलाज करना है। इस नीति से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुए। 1992 में इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी और इसके परिणामस्वरूप एक संशोधित नीति तैयार की गई थी। यह संशोधित नीति 85 प्रतिशत से अधिक संक्रमित रोगियों को अच्छा होने की बढ़ती हुई दर पर जोर देती है। संशोधित कार्यक्रम में रेडियोलॉजी की बजाय थूक की जांच को बढ़ावा दिया गया है।

27. कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम: इस कार्यक्रम ने अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या 1981 में 4.0 मिलियन से घटकर मार्च, 2004 के अन्त तक 0.26 मिलियन हो गयी है। एमडीटी की सेवाएं देश के सभी जिलों के लिए मंजूर की गई हैं। यह कार्यक्रम 590 जिला कुष्ठरोग समितियों के माध्यम से चलता है। 41.75 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 8.00 करोड़ रुपए तक की निधियां वर्ष 2005-06 के लिए विदेशी सहायता प्राप्त संघटक के अन्तर्गत प्रदान की जा रही हैं।

28. रोहा और अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम: अन्धता नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम को 1976 में सारे देश में लागू किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कैम्प लगा कर जरूरतमंद रोगियों को तत्काल राहत दिया जाता है तथा आंखों की देखभाल के लिए स्थायी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी उपाय भी किये जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिला अन्धता नियंत्रण समितियों की अवधारणा को जिले में आंख की देखभाल संबंधी सेवा के प्रबंध को विकेन्द्रीकृत करने तथा सरकारी, गैर-सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी बनाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। अभी तक 520 जिला अन्धता नियंत्रण समितियां बनाई गईं तथा कार्य कर रही हैं। विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत एक परियोजना शुरू की गई है तथा अप्रैल, 1994 से यह 7 प्रमुख राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आंख की देखभाल संबंधी संबंधी कार्यकलाप को बढ़ावा देने में प्रभावी रही हैं। इन 7 राज्यों में परियोजना की प्रमुख उपलब्धियां आंखों की देखभाल संबंधी सेवा का उन्नयन करना, इसका दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करना, जी.बी.सी. की स्थापना तथा कार्य, आथलैटिक मैनुपावर का प्रशिक्षण, प्रबंध तथा सूचना प्रणाली में सुधार लाना और जनता में इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता लाना है। इस परियोजना में गैर-सरकारी तथा निजी क्षेत्र का सहयोग भी शामिल है।

29. राष्ट्रीय आयोडीन अपूर्णता विकार नियंत्रण कार्यक्रम: एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 71 मिलियन व्यक्ति आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। इस कार्यक्रम का बल खाने के समस्त नमक को चरणबद्ध तरीके से आयोडीनयुक्त करने पर होगा।

30. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम: एड्स हाल ही के वर्षों में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरा है। एच.आई.वी. संक्रमण और एड्स के साथ जुड़ी हुई बहु-पक्षीय समस्याओं का सामना करने की तुरन्त आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार ने एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए आई.डी.ए./विश्व बैंक से उदार शर्तों वाले ऋण के रूप में पर्याप्त सहायता के साथ दूसरी परियोजना शुरू की है। सरकार ने इस द्वितीय परियोजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के स्थान पर विशेषकर उन वर्ग के लोगों को जिनसे एचआईवी फैलने की अधिक आशंका है, उनमें हस्तक्षेप करके उनके व्यवहार को बदलने के साथ-साथ तथा दीर्घावधि आधार पर एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता लाने में भारत की क्षमता मजबूत बनाना है। इस परियोजना में एचआईवी नियंत्रण के लिए प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना, इसके प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा एचआईवी/एड्स के मरीजों को सामुदायिक सहयोग देना शामिल है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 35 एड्स नियंत्रण समितियों, जिसमें नगर निगम स्तर पर 3 समितियां शामिल हैं, के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। देश में रक्त बैंक की सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक स्वायत्तशासी संस्था नेशनल कार्डसिल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्थापना की गई है। यू.एस.ए.आई.डी. की सहायता से चेन्नई की स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से तमिलनाडु में एड्स रोकथाम और नियंत्रण परियोजना पर भी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना में अनेक गैर-सरकारी संगठनों का पता लगाकर और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके जनसंख्या के उन लोगों को (जिन्हें एड्स का अत्यधिक जोखिम है) जो संक्रमण के निकट हैं, विशेष रूप से यौन कर्मियों और उनके ग्राहकों के साथ-साथ एसटीडी रोगियों में एचआईवी की रोकथाम की व्यवस्था को पुनः प्रवृत्त करना है। 533.50 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 510.50 करोड़ रुपए तक की निधियां विदेशी सहायता प्राप्त घटक के अन्तर्गत प्रदान की जा रही हैं।

32. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली: यह संस्थान संचारी रोग विज्ञान तथा संचारी रोग नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विषयों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य करता है और केन्द्रीय सरकार/राज्यों की सरकारों को तथा अन्य अभिकरणों को संचारी रोगों की जांच तथा उनके नियंत्रण के लिए सेवा प्रदान करने/परामर्श देने की व्यवस्था करता है। इसके कार्य, अलवर, बंगलौर, कालीकट, कुन्नूर, पटना, राजामुन्दी तथा वाराणसी स्थित क्षेत्रीय स्टेशनों और विशिष्ट डिवीजनों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं।

33. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली: चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में अनुसंधान के लिये और इम्यूनोबायोलॉजिकल्स के उत्पादन तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इस संस्थान की स्थापना 1905 में की गई थी। संक्रामक रोगों की औषधियों जैसे डिपथेरिया, पिट्टिसिस, टेटनस, हैजा के टीके, एण्टी-स्नेक वेनम, एण्टी रेबिज सीरम आदि का सबसे अधिक और विस्तृत उत्पादन इसी संस्थान द्वारा किया जाता है। इस संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बी.एस.सी., एम.एस.सी. और एम.फिल. (माइक्रोबायोलॉजी) की नियमित कक्षाएं भी चलाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इस संस्थान के एम.डी. पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, पी.एच.डी. बायोकैमिस्ट्री तथा माइक्रोबायोलॉजी के पाठ्यक्रमों को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

34. पत्तन स्वास्थ्य स्थापना और हवाईअड्डा स्वास्थ्य संगठन: पत्तन और हवाईअड्डा स्वास्थ्य संगठन देश में 8 बड़े पत्तनों और 5 अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों का प्रशासन करता है और स्वास्थ्य संबंधी जांच पड़ताल और संगरोध प्रशासन के लिए प्रबन्ध करता है। इस संगठन का उद्देश्य संचारी रोगों का अन्तर्राष्ट्रीय फैलाव रोकना, ऐसे अधिसूचित देशों में जहां स्थानीय बीमारियां होती हैं वहां से आने अथवा उनके माध्यम से स्थानांतरण होने वाले यात्रियों के जरिए देश में पीतज्वर के प्रवेश को रोकना है। भारत में सभी 8 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों द्वारा डी-रेटिंग-मुक्त प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। अब ऐसा मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और कोचीन पत्तनों पर भी किया जा रहा है।

35. राष्ट्रीय जीव-विज्ञान मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण: यह संस्थान भारत में जीव-विज्ञान की गुणवत्ता नियंत्रण के उच्च स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता को पूरा करने लिए स्थापित किया गया है। इसे स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में बनाया गया है। राष्ट्रीय जीव-विज्ञान संस्थान का उद्देश्य है:-जीव-विज्ञान और प्रतिरक्षण जीव-विज्ञान उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण पद्धतियों हेतु मानकों को विकसित तथा तैयार करना, विश्वव्यापी वैज्ञानिक अनुसंधानों की बराबरी करने हेतु अन्य राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्पर्क बढ़ाना और जीव-विज्ञान तथा प्रतिरक्षण जीव-विज्ञानों

की गुणवत्ता-नियंत्रण में प्रौद्योगिकीय विकास करना ताकि उनको अपनाने की उपयुक्तता पर परामर्श दिया जा सके, विनिर्माण एककों सहित संबद्ध संस्थाओं के कार्मिकों हेतु गुणवत्ता-नियंत्रण में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना और गुणवत्ता नियंत्रण तथा जीव-विज्ञान उत्पादों के निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अर्हता प्राप्त जन-शक्ति की उपलब्धता का समय-समय पर मूल्यांकन करना ताकि सरकार को देश में उचित उपायों तथा विद्यमान परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन की गुंजाइश के संबंध में सलाह दी जा सके।

36. बी.सी.जी. टीका, गुडंडी, चेन्नई: यह स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय का अधीनस्थ कार्यालय है, जो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बी.सी.जी. का टीका तथा ट्यूबरकूलिन, पी.पी.डी. को बनाने तथा उनकी आपूर्ति करने के लिए स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन के अनुसार एफ.डी. बी.सी.जी. टीके की आपूर्ति सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है।

37. अखिल भारतीय स्वच्छता विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता: यह संस्थान देश में लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अग्रगामी संस्थान है। इसका उद्देश्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाएं देकर लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनशक्ति का विकास करना और देश में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बीमारियों के बारे में अनुसंधान करना, और स्वास्थ्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग किये जाने के लिए पद्धतियों के विकास और स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए निष्कर्षों का अनुपालन करने के लिए प्रचालनात्मक अनुसंधान करना है।

38. लाला राम स्वरूप टी.बी. और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली: यह देश में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों में से एक प्रमुख संस्थान है, जो कि देश की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या टी.बी. के कारणों का पता लगाने में लगा हुआ है। इस संस्थान के पास उपचार करने के लिए आवासीय सुविधा देने हेतु एक क्लीनिक है और 520 बिस्तर हैं। यह पिछले 44 वर्षों से लोगों की उत्कृष्ट रूप से सेवा कर रहा है।

40. मानसिक-स्वास्थ्य कार्यक्रम: यह कार्यक्रम इस समस्या पर समुदाय आधारित दृष्टिकोण से विचार करता है जिसमें (क) राज्य के अन्तर्गत अभिज्ञात नोडल संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य दल को प्रशिक्षण देना (ख) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ग) मानसिक बीमारी का जल्दी से पता लगाने तथा उसके उपचार हेतु सेवाएं प्रदान करना और समाज के लिए बाह्य रोगी विभाग तथा आन्तरिक उपचार सुविधा देना और रोग मुक्त हुए मामलों में अनुवर्ती कारवाई करना (घ) भविष्य की योजनाओं, सेवा में सुधार तथा अनुसंधान हेतु राज्य और केन्द्र में समुदाय स्तर पर बहुमूल्य आंकड़े तथा अनुभव प्रदान करना शामिल है।

41. अन्य लोक स्वास्थ्य संस्थान: इसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, भारतीय पास्तुरी संस्थान, कुन्नूर और सीरमकर्ता तथा रसायन परीक्षक, कोलकाता के लिए प्रावधान शामिल है।

42. अन्य योजनाएं: इनके अन्तर्गत विविध योजनाओं के लिए व्यवस्था सम्मिलित हैं।

43. राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि: इसकी स्थापना गरीबों को अस्पतालों में भर्ती करने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए की गई है।

44. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता का प्रावधान : गरीबों के लिए जरूरी दीर्घकालिक और खर्चीला इलाज उपलब्ध कराने पर होने वाले व्यय के लिए है।

45. खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम: इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं, (i) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के परामर्श से राष्ट्रीय मानकों का प्रतिष्ठापन (ii) स्वाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और तत्संबंधी नियमों का प्रशासन तथा इस अधिनियम के उपबंधों को पर्वत करने के लिए राज्यों से समन्वय और सम्पर्क, (iii)

प्रशासनिक समर्थन की व्यवस्था, जैसे कि प्रशिक्षण, उपस्कर और प्रयोगशाला सुविधाओं आदि की व्यवस्था, और (iv) उपभोक्ता शिक्षण प्रदान करना।

46. प्रशिक्षण संस्थान: इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय क्षयरोग प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, केन्द्रीय कुष्ठ रोग अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, चिगंलेपट्टु और क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान अस्का, राजपुर और गौरीपुर के लिए प्रावधान शामिल है।

47. परिचर्या संबंधी सेवाओं का विकास: इसमें नर्सिंग के प्रशिक्षण, नौवीं योजनावधि के अंतर्गत खोले गए नर्सिंग स्कूलों को आवर्ती सहायता, नर्सिंग स्कूलों का मेडिकल कालेज से संबद्ध नर्सिंग कालेज में उन्नयन करने की व्यवस्था है। आर ए के नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली का उन्नयन राष्ट्रीय उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में करना। नर्सिंग के मौजूदा स्कूलों/कालेजों का सुदृढीकरण और दिल्ली में केन्द्रीय सरकार में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों हेतु रिहायशी आवास की व्यवस्था करना।

48. औषधि मानक नियंत्रण कार्यक्रम: इसमें औषधि तकनीकी परामर्शी बोर्ड जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत एक सांविधिक बोर्ड है, के लिए व्यवस्था की गयी है जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले तकनीकी विषयों पर केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है; औषध परामर्शी समिति, जो एक सांविधिक निकाय है, देश भर में औषधियों के एक समान प्रयोज्यता पर विचार करती है और समय-समय पर सरकार को संशोधनों की सिफारिश करती है; राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को उनकी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण के लिए, राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों को उनकी सूचना प्रणाली को सुधारने तथा प्रवर्तन एवं सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु वित्तीय सहायता देता है और एक तदर्थ समिति के माध्यम से भारतीय औषध-कोटा तैयार करने और उसे अद्यतन बनाने का कार्य करता है।

50. अन्य योजनाएं: इनमें विविध योजनाओं जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता, तम्बाकू से मुक्ति अभियान और समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

53. पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम सहित): योजना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूर्वोत्तर और सिक्किम के विकास के लिए उपयुक्त विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 290.80 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

1.	राष्ट्रीय रोगवाहक रोग नियंत्रण कार्यक्रम	35.00
2.	राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम	3.18
3.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	19.61
4.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	57.00
5.	राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम	3.00
6.	समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम	8.00
7.	राष्ट्रीय कैन्सर नियंत्रण कार्यक्रम	6.50
8.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	4.00
9.	राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार कार्यक्रम	1.00
10.	क्षमता निर्माण हेतु राज्यों को सहायता	3.00
11.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	5.00
12.	एनईआईजीआरआईएचएमएस	126.51
13.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	16.00
14.	स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा प्रबंधन	1.00
15.	परिचर्या सेवाओं का विकास	2.00
जोड़		290.80